राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः–एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/ 424 दिनांकः 09.01.2020

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव के लिए चार चरणों के जारी कार्यक्रम की ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों में परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भः– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) संख्या 30471/2019 राजस्थान राज्य बनाम जयसिंह एवं अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 08.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के किये गये नवसृजन/पुर्नगठन को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 17993/2019 में चुनौति दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 में राज्य सरकार की 15/16.11.2019 के पश्चात् जारी की गई अधिसूचनाओं को अपास्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के क्रम में आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव का कार्यक्रम दिनांक 26.12.2019 को जारी किया गया जिसमें चुनाव के तीन चरण रखे गये तथा शेष पंचायतों के लिए दिनांक 04.01.2020 को चौथे चरण का कार्यक्रम जारी किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 30471/2019 राजस्थान राज्य बनाम जयसिंह एवं अन्य प्रस्तुत कर चुनौती दी गई। उक्त SLP में पारित स्थगन आदेश दिनांक 08.01.2020 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 13.12.2019 के क्रियान्वयन को आगामी आदेश तक के लिए **स्थगित (Stay)** कर दिया गया है।

उपरोक्त स्थगन से उत्पन्न परिस्थितियों के मध्यनजर आयोग द्वारा राज्य में घोषित पंचायत चुनाव (पंच एवं सरपंच) के संबंध में निम्न निर्देश दिए जाते हैंः–

1. अब संलग्न सूची (परिशिष्ट–A) में अंकित पंचायत समितियों में समाहित ग्राम पंचायतों के ही चुनाव, आयोग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करवाये जाने हैं।

2. चूंकि प्रथम चरण के कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र लिए जाकर चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने तक की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिएः–
   (i) जिन पंचायत समितियों के नाम सूची में अंकित नहीं है, उनमें समाहित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों एवं उनसे संबंधित समस्त निर्वाचन दस्तावेजों को आयोग के आगामी आदेश तक सील बन्द कर विधिसम्मत अभिरक्षा में रखा जाये।
   (ii) संलग्न सूची में अंकित पंचायत समितियों में समाहित ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी।

3. द्वितीय एवं तृतीय चरण में संलग्न सूची में अंकित पंचायत समितियों में समाहित ग्राम पंचायतों के ही सरपंच एवं पंच पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न की जानी है।

4. चतुर्थ चरण के कार्यक्रम की लोक सूचना **आयोग के आगामी आदेश तक जारी नहीं की जाये।**

उपरोक्त के संदर्भ में यदि किसी जिले से संबंधित सूचना में और आयोग की सूची में विसंगति पाई जाए तो उसे तत्काल आयोग के ध्यान में लाया जाए ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना की जा सके।

आयोग के उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्णय से सभी चुनाव प्राधिकारियों को तत्काल सूचित करें तथा अपने स्तर से स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी आमजन की जानकारी के लिए प्रसारित करावें।

संलग्नः– सूची– चार पृष्ठ (परिशिष्ट–A)

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/ 425–40 दिनांकः 09.01.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव/विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज, राजस्थान।
13. विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/सामान्य प्रशासन विभाग
15. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव